

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-476) अलेसे- I/५६७

दिनांक:- ०९/०७/२१

कार्यालय आदेश

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/३/२१/१५६२-६७ दिनांक १९.०६.२०२१ संलग्न करते हुये श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनंक नं. ४५४६) कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा दिनांक १८.०६.२०२१ को कार्यवाही कर गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या २०२/२०२१ दिनांक १९.०६.२०२१ प्रस्तुत की है।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-१३ में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को गिरफ्तारी दिनांक १८.०६.२०२१ से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय कोषालय, पाली में रहेगा।

श्री बसंत कुमार शाहजी को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५३ के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.२ (क) (बी-४७६) अलेसे- I/५६७

दिनांक:- ०९/०७/२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १ संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- २ महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/३/२१/१५६२-६७ दिनांक १९.०६.२०२१ के संदर्भ में।
- ३ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर।
- ४ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- ५ कोषाधिकारी, पाली।
- ६ उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर।
- ७ उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- ८ श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर को पालनार्थ।
- ९ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- १० जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- ११ श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।
- १२ रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-१)